न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या– 12/2002

वादीगण–

1 सावलराम पुत्र देवाराम

2 खेमाराम पुत्र देवाराम

3 हुक्माराम पुत्र देवाराम

4 जसूराम पुत्र पोलाराम

5. भूराराम पुत्र पालाराम

सभी जातियान जाट निवासीयान ग्राम जाटीपुरा तहसील ओसिया जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 तुलछाराम पुत्र पन्नाराम के कायम मुकाम

1/1 हीरामराम पुत्र तुलछाराम

1/2 सांवताराम पुत्र तुलछाराम

1/3 हमीराराम पुत्र तुलछाराम

1/4 आसुराम उर्फ अशोक कुमार पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम

1/4/1 श्रीमति कमला पत्नी आसुराम उर्फ अशोक कुमार

1/4/2 यशोदा पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार पत्नी पप्पुराम पुत्र झुमरलाल धतरवाल धोलियानाडी खेतासर तहसील ओसिया जिला जोधपुर

1/4/3 गायत्री पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार

1/4/4 ओमी पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार

1/4/5 किशनगोपाल पुत्र आसुराम उर्फ अशोक कुमार

1/4/6 वीरेन्द्र पुत्र आसुराम उर्फ अशोक कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned by CamScanner

समस्त जातियान जाट निवासीगण जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर

2 वीरमाराम पुत्र उमाराम के कायम मुकाम

2/1 मुलाराम पुत्र वीरमाराम

2/2 फुसाराम पुत्र वीरमाराम

2/3 जेठाराम पुत्र वीरमाराम

3 चिमाराम पुत्र उमाराम

4 झुमरराम पुत्र उमाराम

5 मोहनराम पुत्र उमाराम के कायम मुकाम

5/1 नरपतसिंह पुत्र मोहनराम

5/2 राजेन्द्र पुत्र मोहनराम

5/3 राकेश पुत्र मोहनराम समस्त जातियान जाट निवासीगण जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर

5/4 रेखा पुत्री मोहनराम पत्नी गरोविन्दराम जाति जाट माचरा निवासी ग्राम बैठवासिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर

6. आसुराम पुत्र कोलाराम

7 आसुराम पुत्र उमाराम

8. रूपा बेवा सताराम

9. भींयाराम दुर्गाराम

10. धन्नाराम पुत्र पीराराम के कायम मुकाम

10/1.हरजीराम उर्फ हीराराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम ओसिया जिला जोधपुर

11. देराम पुत्र पीराराम के कायम मुकाम

11/1. श्रीमती धापुदेवी पत्नी देराम जाति जाट निवासी जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

नायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

12. मोहनराम पुत्र लालाराम

13. सेवाराम पुत्र आदुराम

14. हेमाराम पुत्र आदुराम

15. जालाराम पुत्र मेहराम

16. पुनाराम पुत्र मेहराम

17. जेठाराम पुत्र मेहराम

18. मोहन पुत्र मेहराम के कायम मुकाम

18/1. श्रीमति सजनीदेवी पत्नी मोहनराम

18/2. केवलराम पुत्र मोहन राम

19. चुनाराम पुत्र मेहराम

20. मूलाराम पुत्र केसुराम के कायम मुकाम

20/1. श्रीमति चुक्यिा बेवा मुलाराम जाति जाट

निवासी जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर हाल रसाला रोड पृथ्वीपुरा जोधपुर

21. रूपाराम पुत्र केसुराम

22. नरपतराम पुत्र केसुराम

23. अमरसिंह पुत्र केसुराम

24. रामचन्द्र पुत्र केसुराम

25. फूलचन्द पुत्र केसुराम

26. मोहनराम पुत्र केसुराम

27. कानाराम पुत्र केसुराम

समस्त जाति जाट निवासी ओसिया जिला जोधपुर

28. भीखाराम पुत्र फुसाराम

29 सोनाराम पुत्र फुसाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

30. किशनाराम पुत्र फुसाराम

31. गंगाराम पुत्र हरकाराम के कायम मुकाम

31/1. श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तींवरी जिला जोधपुर

31/2. श्रीमति शारदा पुत्री गंगाराम पत्नी सुखाराम जाति जाट जाणी निवासी ग्राम मथानिया तहसील तिवरी ओसिया जिला जोधपुर

31/3 श्रीमति धापु पंत्री गंगाराम पत्नी ओमाराम खिचड जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

31/4. पदमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

31/5. श्रीमति पारबता पुत्री गंगाराम पत्नी चन्दुराम जाणी जाति जाट जाणी निवासी ग्राम मथानिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

31/6. नारायणराम पुत्र गंगाराम जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

31/7. पुखराज पुत्र गंगाराम जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तिंवरी जिला जोधपुर

31/8. श्रीमति कसुंबी पुत्री गंगाराम पत्नी लिखमाराम खिचड जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तिंवरी जिला जोधपुर

32. सिमरथाराम पुत्र हरकाराम

33. खेताराम पुत्र गुणेशाराम

34. गिरधारीराम पुत्र गुणेशराम के कायम मुकाम

34/1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी गिरधारीराम

34/2. गोविन्दराम उर्फ गोमदराम पुत्र गिरधारीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned by CamScanner

34/3. विशनाराम पुत्र गिरधारीराम

34/4. भंवराराम पुत्र गिरधारीराम

35. खेमाराम पुत्र गुणेशाराम

36. नारायणराम पुत्र देवाराम

जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तिंवरी जिला जोधपुर

उपस्थिति

वादीगण की ओर से – रूघाराम चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर – चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 22/7/19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने वाद बाबत खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरस्ती रद्द करने बेचान व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया के ग्राम प्रेमसागर भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा पर सेटलमेंट से पहले वादीगण के पुर्वज पोलाराम पुत्र मालाराम अकेले का कब्जा काश्त की कृषी भुमि थी। पोलाराम का देहान्त होने पर पोलाराम के तीन पुत्र देवाराम जसुराम व भुराराम का कब्जा काश्त व देवाराम का देहान्त होने पर देवाराम के तीन पुत्र सांवलराम खेमाराम व हुक्माराम काबिज हुए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उस वक्त वादीगण का ही कब्जा काश्त था। रावता पुत्र सगरा का देहान्त सम्वत 1995 में हो गया। उक्त भुमि का पट्टा संख्या 27 सम्वत 1999 को जारी हुआ उस वक्त रावता का नाम गलती से बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया उक्त भुमि पर रावता का कोई कब्जा काश्त नहीं था। वादपत्र में आगे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने ग्राम पंचायत से मिलावटकर नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 11–07–1967 को रावत के मृतक पुत्र नत्था के नाम दर्ज करवा दिया जो नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 11–07–1967 जो नत्था के फौत होने पर सिमरथा का नाम दर्ज किया है से साबित है कि सिमरथा का देहान्त 18–02–1971 को हो गया। सिमरथा के कोई जायन्दा औलाद नही थी केवल पत्नी रम्भा ही थी। वादग्रस्त आराजी पर सि[illegible] का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं था। सिमरथा के फौत होने के [illegible] संख्या 01 से 27 के नाम गलत तरीके से नामान्तरकरण संख्या 203 [illegible]मरथा के वारीसान की जांच किये बिना ही स्वीकृत कर दिया एव उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 27 ने बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned by CamScanner

हक अधिकार के दिनांक 18–02–89 को प्रतिवादी संख्या 28 से 30, 31 से 32 एवं 33 से 36 के पक्ष में वादग्रस्त भुमि में अपना 5/7 हिस्सा कब्जा बताकर बेचान दस्तावेज पंजिकृत करवा दिया । विधिविरूद्व बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 205 दिनाक 16–06–1989 को स्वीकृत करवा दिया गया । विधिविरूद्व दस्तावेजात से प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है । वादीगण ने वादपत्र के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड दुरस्त करते हुए प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्डसे हटाया जावे । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 द्वारा प्रतिवादी संख्या 28 से 36 के पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज वादीगण के हक अधिकारो के विरूद्व बेअसर शुन्य धोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के शान्तिपुर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे ।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से सयुक्त जबाव दावा पेश कर वादपत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर पोलाराम अकेले का कब्जा काश्त नहीं था। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 2/7 हिस्सा एवं 5/7 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 का था। प्रतिवादी संख्या 1 से 27 ने विधिवत बेचान प्रतिवादी संख्या 28 से 36 के पक्ष में कर दिया। प्रतिवादी संख्या 28 से 36 की 5/7 हिस्से पर रहवासिय ढाणिया बनी हुई है। वादग्रस्त आराजी के सम्पुर्ण हिस्से या 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा कास्त नही है वक्त सेटलमेंट पट्टा गलत आ जाने के कारण प्रतिवादीगण ने बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाये वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 28 से 36 का है। बेचान दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने जबाव–दावा के अन्त में वादीगण का वाद हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया गया

पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर निम्न तनकियात कायम किये गये

1. आया वादीगण मौजा प्रेमनगर भलासरिया के खेत खसरा नम्बर 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा सम्पुर्ण पर खातेदारी अधिकारो की धोषणा का अधिकारी है।

Signature Not Verified
से वादीगण

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 27 द्वारा प्रतिवादी संख्या 28 से 36 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18–02–1989 वादीगण के विरूद्व रद्द समझा जावे।

सहायक कलेक्टर, कोटपूतली

Scanned by CamScanner

जिम्मे वादीगण

3 वादीगण वाद की इस्तदुआ में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

जिम्मे वादीगण

4 आया वादग्रस्त भुमि पर वादीगण का 2/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 का 5/7 हिससा थ जो प्रतिवादी संख्या 28 से 36 को बेच दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 27 का सेटलमेंट से पुर्व से कब्जा चला आ रहा है तथामौके पर 8 रहवासीय ढाणीया बनी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीबण के मध्य अलग अलग माठ है अत प्रतिवादी उक्त भूमि का 5/7 का खातेदार है

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया रजिस्टर्ड बेचाननामे को इस न्यायालय को खारिज या रद्द करने का अधिकार नहीं है

जिम्मे प्रतिवादीगण

6. दादरसी

न्यायालय के आदेश दिनांक 1–08–2006 के तहत तनकी संख्या 5 हटाई गई एवं दिनांक 1–08–2006 को संशोधित तनकीयात कायम किये गये

संशोधित तनकीयात

1. आया वादी मौजा भलासरिया के खेत खसरा नम्बर 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण पर खातेदारी अधिकारो की धोषणा का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 27 द्वारा प्रतिवादी संख्या 28 से 36 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18–0271989 वादी के विरूद्व रदद समझा जावे

जिम्मे वादीगण

3. वादी वाद की इस्तदुआ में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, भोपालगढ़

Scanned by CamScanner

जिम्मे वादीगण

4 आया वादग्रस्त भुमि पर वादीगण का 2/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 का 5/7 हिससा थ जो प्रतिवादी संख्या 28 से 36 को बेच दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 27 का सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथामौके पर 8 रहवासीय ढाणीया बनी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अलग अलग माठ है अत प्रतिवादी उक्त भूमि का 5/7 का खातेदार है

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. दादरसी

वादीगण की ओ से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यु –1 सांवलराम, पी. डब्ल्यु –2 हुक्माराम, पी.डब्ल्यु – 3 गजाराम के बयान कलमबद्व करवाये गये। वादपत्र को साबित करने के लिए वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न लिखित दस्तावेज प्रर्दशित करवाये गये।

1. प्रदर्श –1 – पट्टा संख 27
2. प्रदर्श –2 –जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044
3. प्रदर्श –3 नामान्तरकरण संख्या –36
4. प्रदर्श –4 नामान्तरकरण संख्या –37
5. प्रदर्श –5 नामान्तरकरण संख्या –203
6. प्रदर्श –6 नामान्तरकरण संख्या –205
7. प्रदर्श –7 नामान्तरकरण संख्या –349
8. प्रदर्श –8 नामान्तरकरण संख्या –559

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक में डी डब्ल्यु –1 भीखाराम, डी डब्ल्यु –2 खेताराम, डी डब्ल्यु –3 गंगाराम, डी डब्ल्यु –4 तेजाराम, डी डब्ल्यु –5 लिखमाराम, डी डब्ल्यु –6 हिम्मताराम, डी डब्ल्यु –7 सांवताराम के बयान कलमबद्व करवाय गये एवं मौखिक साक्ष्य में ई एक्स डी 1 गिरदावरी , ई एक्स डी 2 रसीदे धासमारी को प्रर्दशित करवायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 सी पी सी प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर, ...

Scanned by CamScanner

वादीगण की ओर से जबाव प्रार्थना–पत्र पेश किया वकुलाय पक्षकारान की बहस सुन कर न्यायालय द्वारा दिनांक 3–11–2003 को आदेश पारित करते हुए **नत्था,सिमरथा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के हक में म्युटेशन नामान्तरकरण जारी हुए है,जिसमें कानुनी त्रुटिया रही है तथ इस कार्यवाहियो में अपनाई जाने वाली प्रकियाओ को अनदेख कर पोसिदा तौर के पंचायत व राजस्व कर्मचारियो / अधिकारियोउ से मिलावट कर गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से उक्त दस्तावेजात तैयार किये, जो वोईड /शुन्य प्रभावी दस्तावेजो की श्रेणी में आते है तथ उक्त नामान्तरकरण के आधार पर तथाकथित दिनांक 18–02–89 को किये गये बेचाननामे भी एबएनीशियो वाईड (Abinitio-Void)/शून्य–प्रभावी दस्तावेजात है** तीनो बेचान दस्तावेज दिनांक 18–02–1989 को Abinitio Void बेअसर शुन्य प्रभावहीन माना जा चुका है एवं उसके पश्चात आदेश दिनांक 01–08–2006 के आधार पर तनकी संख्या 5 को डिलीट करने का आदेश पारीत किया जा चुका है उक्त दोनो आदेशो के विरूद्व अपील या निगरानी नहीं करने के कारण अन्तिम हो चुके है । अब न्यायालय को संशोधित तनकीयात का ही निर्णय करना शेष है ।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–11–2003 एवं 01–08–2006 का अवलोकन किया गया ।

वादीगण की ओर से बहस में वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर सम्वत 1999 से वादीगण पूर्वजो का कब्जा काश्त होने के कारण सम्वत 1999 में वादीगण के पूर्वज पोलाराम के नाम पट्टा जारी किया गया। सम्वत 1999 में रावता जीवित नही था लेकिन गलती से पट्टे में रावता का नाम दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादीगण ने रावता को प्रतिवादी संख्या 1 से 27 का पूर्वज बताने की कोशिश की लेकिन रावता का देहान्त कब हुआ, न तो जबाव दावा में पेश किया और न ही मौखिक साक्ष्य में साबित किया कि सम्वत 1999 में रावता जीवित था। इससे साफ जाहिर होता है कि रावता सम्वत 1999 में गुजर चुका था। मृत व्यक्ति के नाम पट्टा जारी नही किया जा सकता इस कारण पट्टा गलत जारी हुआ है। वादीगण के अधिवक्ता ने नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

36, 37 की ओर घ्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि दोनो नामान्तरकरण एक ही दिन स्वीकृत हुए है जो मृत व्यक्ति के नाम से स्वीकृत हुए, जिसकी विधि में कोई मान्यता नहीं है । नामान्तरकरण संख्या 203 में सिमरथा को लाऔलाद फौत होना बताया गया है जबकि औसिया में स्थित कृषि भुमि का नामान्तरकरण संख्या 559 में सिमरथा की वारिस रम्भा को बताया गया था। नामान्तरकरण संख्या 559 वर्ष 1971 में सिमरथा के फौत होने पर भरा गया । इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 36,37,203 से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है । वादीगण के अधिवक्ता ने आगे बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 ने विधिविरूद्व दस्तावेज के आधार पर बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाये इस कारण न्यायालय ने बेचान दस्तावेजात को प्रभावहीन शून्य बेअसर घोषित कर दिया है । गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है उसे वादीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है

वादीगण के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण स्वयं स्वीकार करते है कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी पर रावता का कब्जा नहीं था बिना कब्जा जारी पट्‌टा गलत होने के कारण वादीगण रेकर्ड दुरस्त करवाने के अधिकारी है

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस मे आगे निवेदन किया कि बेचान दस्तााेवेज में कब्जा का हस्तान्तरण होना आवश्यक है यदि कब्जा का हस्तान्तरण नही होता है तो बेचान दस्तावेज शुन्य होने के कारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बेचान दस्तावेजात को शून्य मान चुका है।

वादीगण ने बहस मे आगे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के जबाव दावा एवं मौखिक साक्ष्य में भारी विरोधाभाष होने के कारण प्रतिवादीगण के अभिवचनो पर किसी प्रकार से विश्वास नही किया जा सकता । वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया प्रतिवादीगण को दो हिस्सऐ में बांटा जा सकता है प्रथम तो अपने आपको रावता का वारीस बताकर वादग्रस्त भूमि बेचान करने वाले प्रतिवादी संख्या 1 से 27 तथा द्वितीय गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी खरीद करने वाले प्रतिवादी संख्या 28 से 36 है। बेचानकर्ता न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए प्रतिवादी डी डब्ल्यु 1 भीखाराम,डी डब्ल्ये 2 खेताराम डी डब्ल्यु 3 रामाराम वादग्रस्त भुमि खरीदने वाले तथा डी डब्ल्यु 4 तेजाराम डी डब्ल्यु 5 लिखमाराम डी डब्ल्यु 6 हिम्मताराम पडौसी गवाह है। डी डब्ल्यु 7 सांवताराम अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रायक कॉपीस्टर, ओसियाँ

Scanned by CamScanner

आप को रावता का वारीस बता रहा है। इस कारण से प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में डी डब्ल्यु 7 सावंताराम के बयान महत्वपुर्ण है इन सभी गवाहान कि आयु 43 वर्ष से 54 वर्ष के बीच है। यानि सेटलमेंट के बाद जन्म हुआ । वादीगण की मौखिक साक्ष्य में एवं दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण ने बताया कि भाट बही के अनुसार रावता का देहान्त सम्वत् 1995 में हो चुका था। उक्त तथ्य का प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नही किया गया, इससे यह साबित होता है कि सम्वत 1999 में रावता जीवित नही था मृत व्यक्तिके नाम पट्टा जारी गलत जारी किया गया। इसके अलावा रावता के पुत्र नत्था का नामान्तरकरण ही मृत के नाम स्वीकृत किया गया। सिमरथा के फौत होने के 17 वर्ष बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जो संदेहप्रद होने के कारण उस विश्वास नही किस जा सकता । बेचान दस्तावेज न्यायालय द्वारा पूर्व ही शुन्य बेअसर प्रभावहीन घोषित कर चुका है। इस परिस्थितियो में वादीगण उस तनकी को साबित करने में सफल रहा है। इस कारण से वादीगण रेकर्ड दुरस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद साबित किया है इस कारण से वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे

वादीगण के अधिवक्ता आगे बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने खातेदारी घोषण का कोई वाद प्रस्तुत नही किया है जिस आधार पर प्रतिवादीगण की खतेदारी दर्ज की गई , उस दस्तावेजात को न्यायालय शुन्य प्रभावहीन मान चुकी है। इन परिस्थितियो में वादीगण का स्वीकार किया जावे एवं वादीगण को सम्पूर्ण रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधााा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल–अंदाजी न तो स्वयं करे और न किसी अन्य के जरीये करावे।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जाबाव दावा में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी स्वयं ने अनुतोष में 1/2 हिस्सा घोषित करने का निवेदन किया है इसके अलाावा रावता का वादग्रस्त आराजी पर 5/7 हिस्से पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट था लेकिन पट्टा में 1/2 गलती से दर्ज हो गया । वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी संख्या 28 से 36 का [illegible] पट्टा गलती से रावता के नाम आ गया। रावता के [illegible] बेचाननामा लिख दिया। वादी स्वयं ने प्रतिवादीगण का कब्जा [illegible] स्वीकार किया हे इस कारण से प्रतिवादीगण का 5/7 हिस्स[illegible] घेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, मोखिज़

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस में जबाव दावे में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वक्त सेटलमेट रावता का कब्जा काश्त नही होने के कारण रावता के वारिसान ने बेचान दस्तावेज प्रातिवादी सख्या 28 से 36 के पक्ष में निष्पादित करवाया, जिसका विवरण बेचान दस्तावेज में किया गया है । प्रतिवादी सख्या 1 से 27 रावता के वारिस होने के कारण बेचान करने का पूर्ण अधिकार था । वादीगण ने नामान्तरकरण के विरूद्व अपीले पेश की, जो खारीज जो चुकी है। इस कारण से वादीगण का वादी खारीज किया जावे एवं प्रतिवादीगण का 5/7 के हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण का कब्जा साबित है

वकुलाय पक्षकारान की बहस पर गौर किया पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय का तनकीवार निर्णय इय प्रकार से है । तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

1. आया वादी मौजा प्रेमसागर (भलासरिया) के खेत खसरा नम्बर 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा सम्पुर्ण पर खातेदारी अधिकारो की धोषणा का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

पी डब्ल्यु 1 सांवलराम ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि सम्वत 1999 में पोलाराम व रावता के नाम पट्टा बहिस्सा बना हुआ है लेकिन जिस प्रकार से पट्टा बना उस प्रकार से कब्जा नहीं था। सम्पुर्ण भुमि पर कब्जा हमारा ही था पट्टे में रावता नाम गलत आया था । प्रतिवादीगण सख्य 1 से 27 को 5/7 हिस्से का बेचान करने का अधिकार नहीं था वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 28 से 36 का कब्जा नहीं है । गवाह सांवलराम ने तरदीदी जिरह में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श 5 व 6 को न्यायालय ने दिनांक 3–11–2003 को शुन्य प्रभावही घेषित किया है । प्रतिवादीगण की ओर से रावता की मृत्यु के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जिरह नही की । वादी सावलराम जिरह में ऐसा कोई विरोधाभाषी बयान नहीं दिया जो वाद पत्र के लिए घातक हो । वादी के बयानो पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है

पी डब्ल्यु 2 हुक्माराम ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि सेटलमेंट के समय सम्पुर्ण भुमि पर कब्जा मेरे दादा पोलाराम का ही था। मेरे दादा के अलावा उक्त जमीन में किसी का हक नहीं था। प्रतिवादीगण 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, शोभित

Scanned by CamScanner

27 ने प्रतिवादीगण 28 से 36 के नाम रजिस्ट्रीया जो फर्जी करवाई है। वादी हुक्माराम जिरह में ऐसा कोई विरोधाभाषी बयान नहीं दिया जो वाद पत्र के लिए घातक हो । वादी के बयानो पर अविश्वास करने का कोई आधार ही नहीं है

पी डब्ल्यु 3 गजाराम खेत पडौसी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वादगग्रस्त आराजी पर वादीगण की ढाणिया बनी हुई है जिसे में वादीगण संख्या 1 से 3 की माताजी निवास करती है वादी गवाह ने जिरह में ऐसा कोई विरोधाभाषी बयान नहीं दिया जो वाद पत्र के लिए घातक हो । वादी के बयानो पर अविश्वास करने का कोई आधार ही नहीं है

डी डब्ल्यु 1 भीखाराम भुमि का खरीदार ने बताया कि सेटलमेंट कब हुआ इसे ज्ञात नही । यह बात सही है कि सम्वत 2012 से 2014 तक की गिरदावरी पेश नहीं की। रावता उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। नत्था का देहान्त कब हुआ उसे पता नहीं। विवादीत भुमि पर सिमरथा कभी काश्त नहीं करता था । प्रतिवादी सिमरथा के क्या लगते थे उसे पता नहीं । प्रतिवादीगण 1 से 27 का कब्जा उसने नही देखा। इनके नाम का म्युटेशन कब भरा उसे पता नहीं । यह बात सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 27 का कब्जा काश्त विवादीत भुमि पर नहीं था। प्रतिवादीगण 1 से 27 का म्युटेशन भरा गया जिसमें 5/7 हिस्था था,या नही नहीं उसे घ्यान नहीं ।

डी डब्ल्यु –2 खेताराम भुमि खरीदार ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पुराना पट्टा कब बना उसे ध्यान नहीं । रावता की मृत्यु सम्वत 1999 से पहले हुई हो,तो उसे पता नहीं । यह बात सही है कि प्रतिवादीगण संख्या 28 से 36 का जन्म जागीर के समय नहीं हुआ। नत्था का म्युटेशन कब भरा उसे पता नहीं । सिमरथा के नाम म्युटेशन कब भरा उसे पता नहीं । उसे ध्यान नहीं, रावता का देहान्त कब हुआ। नत्था की मृत्यु कब हुई उसे पता नहीं। यह बात सही है कि नत्था के नाम म्युटेशन भरा गया, तब वह जीवित नहीं था । यह बात सही है कि सिमरथा की मृत्यु हुई जब प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के पास भुमि का कब्जा नहीं था । म्युटेशन जो भरा गया उसमें 5/7 हिस्सा दर्ज नहीं है । [illegible] के साथ [illegible] सा होने का बाबत कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया।

डी डब्ल्यु –3 [illegible] [illegible] वक्त सेटलमेंट किसका कौनसे हिस्सा था। उसे पता नहीं । रा[illegible] का नाम सुना था, जानता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, भोपालगढ़

Scanned by CamScanner

नहीं । रावता इस भुमि पर काश्त नही करता था। सिमरथा की मृत्यु कब हुई उसे पता नहीं । यह बात सही है कि सिमरथा की मृत्यु के समय उसकी औरत रम्भा जीवित थी। यह बात सही है कि प्रतिवादीगण के नाम भरा गया म्यृटेशन गलत था । वादग्रस्त भूमि के 2/7 और 5/7 बाबत कोई लिखा पढी नहीं है ।

डी डब्ल्यु 4 तेजाराम खेत पडोसी– रावता का नाम सुना है जानाता नहीं। रावता किसका लडका था उसे पता नहीं । रावता का देहान्त 60–70 वर्ष पहले हो चुका था । सिमरथा के नाम म्युटेशन कब भरा पता नहीं । पोलाराम एव रावता का 1/2–1/2 हिस्सा होतो उसे पता नहीं । रावता का इस भुमि में कुल कितना हिस्सा था, उसे पता नहीं। प्रतिवादी संख्या 1 से 27 को कभी काश्त करते नहीं देखा। 5/7 में कितनी जमीन आती है उसे पता नहीं। 2/7 हिस्सा मे कितनी जमीन आती है उसे पता नहीं।

डी डब्ल्यु –5 लिखमाराम खेत पडोसी–कि सेटलमेंट के समय किसका कब्जा था पता नहीं। पोलाराम के 5/7 हिस्से पर कब्जा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 का 42 बीघा पर अंदाज से कब्जा हैं ।

डी डब्ल्यु –6 हिम्मताराम खेत पडोसी– बताया कि दावा किसने पेश किया उसे पता नहीं। भुमि कितने बीघा है उसे पता नहीं। पट्टा कब बना उसे साल याद नहीं। पुराने पटटे में किस किस का नाम नाम है उसे पता नहीं । रावता नत्था को नहीं जानता । 5/7 हिस्से में कितने जमीन होती है , उसे पता नहीं। 2/7 में कितनी जमीन होती है उसे पता नहीं । वादग्रस्त जमीन पर प्रतिवादी संख्या 28 ये 36 का कितना हिस्सा है उसे पता नहीं। यह बात सही है कि सिमरथा की औरत का नाम रम्भा था

डी डब्ल्यु –7 सांवताराम (प्रतिवादी तुलछाराम एक का पुत्र) – सांवताराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि पट्टा सम्वत 2010–2012 में बना था। पट्टा दो नाम से बना था तो मुझे पता नहीं। पट्टा जो गलत बना । मैने या मेरे पुर्वजो ने अपील पेश नही की। रावता का देहान्त सम्वत 1999 के पहले हो गया था, उसे ध्यान नहीं । रावता का कब्जा 60 साल पहले था । कौनसे वर्ष में रहा उसे पता नहीं । रावता का कब्जा उसने नहीं देखा। किस वक्त सैटलमेंट इस भुमि पर किसका किसका कितना भुमि का कब्जा था वह नहीं बता सकता। यह बात सही हैकि सिमरथा की पत्नी का नाम रम्भा था । यह बात सही है कि सिमरथा की ओसियां वाली भुमि , सिमरथा के फौत होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Rebari
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

पर उसकी पत्नी रम्भा के नाम मयुटेशन भरा गया। यह बात सही है कि वादग्रस्त भुमि पर सिमरथा का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा । यह बात सही है कि सिमरथा के फौत होने के 17 साल बाद म्युटेशन हमारे नाम भरा गया। गवाह ने अपने जबाव दावा से हटकर बयान किये। वादग्रस्त आराजी में 2/7 वादीगण का हस्सिा होने एवं 5/7 प्रतिवादीगण का हिस्सा होने की बात को साबित नही कर पाया । गवाह ने प्रतिवादीगण संख्या 28 ये 36 द्वारा वादग्रस्त जमीन खरीदने से इंकार कर रहा है। गवाह के मुख्य परिक्षण में वादग्रस्त आराजी पर रावता एवं रावता के भाईयो का कब्जा काश्त होने का उल्लेख कराता है जबकि जबाव दावा एवं प्रतिपरीक्षण मे खरीदारो का कब्जा वक्त सेटलमेंट से होने के बयान कराता है। इस प्रकार यह गवाह प्रतिपरीक्षण में खरा नहीं रहा । इसके अलावा प्रतिवादीगण के अन्य गवाहो के बयानो में भारी विरोधाभाष होने के कारण मौखिक बयानो पर विश्वास नही किया जा सकता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

।

2 तनकी संख्या दो – आया प्रतिवादी संख्या 1 से 27 द्वारा प्रतिवादी संख्या 28 से 36 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18–0271989 वादी के विरूद्व रद्द समझा जावे

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या दो को साबित करने का भार वादीगण पर है जब तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित कर दी गइ है तथा वक्त बंदोबस्त रावता जीवित ही नही था तथा बाद में उसके मृतपुत्र नत्था के वारिस सिमरथा तथा सिमरथा की मृत्यु के बाद वारिसान के नामान्तरकरण विवादास्पद है तथा सिमरथा के फौत हाने के बाद उसकी पत्नी रम्भा की जीवित होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 01 से 27 वारिस किस आधार पर हुए, इसका कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण नहीं पेश कर पाये अत प्रश्नगत भूमि में कोई अधिकार/हक बिना प्रतिवादी संख्या 01 से 27 द्वारा प्रश्नगत बेचान कोई मायने नहीं रखते है तथा वादीगण के विरूद्व बेअसर है इसके अलावा न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03–11–2003 के द्वारा **नत्था,सिमरथा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 27 के हक में म्युटेशन नामान्तरकरण जारी हुए है,जिसमें कानुनी त्रुटिया रही है तथ इस कार्यवाहियों में अपनाने वाली प्रकियाओ को अनदेख कर पोसिदा तौर के प्रशासन के संबंधित कर्मचारियो / अधिकारियो से मिलावट कर गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से उक्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, प्रोबि...

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात तैयार किये, जो वोईड /शुन्य प्रभावी दस्तावेजो की श्रेणी में आते है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर तथाकथित दिनांक 18—02—89 को किये गये बेचाननामे भी एबएनीशियो वाईड /शुन्य—प्रभावी दस्तावेजात है
प्रतिवादीगण संख्या 28 से 36 के पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेजात दिनांक 18—02—1989 को वादीगण के हक अधिकारो के विरूद्व बेअसर शुन्य घोषित किया जाता है।

इस प्रकार तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है

3. तनकी संख्या— 3 वादी वाद की इस्तदुआ में वर्णित अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या तीन को साबित करने का भार वादीगण पर है तनकी संख्या एक व दो वदीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी। वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज को वादीगण के विरूद्व बेअसर/शुन्य घोषित किया जा चुका है। वादीगण ही वागग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार होने के कारण वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रकार तनकी संख्या तीन वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4 आया वादग्रस्त भुमि पर वादीगण का 2/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 का 5/7 हिसमा थ जो प्रतिवादी संख्या 28 से 36 को बेच दिया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 27 का सेटलमेंट से पुर्व से कब्जा चला आ रहा है तथामौके पर 8 रहवासीय ढाणीया बनी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीबण के मध्य अलग अलग माठ है अत प्रतिवादी उक्त भुमि का 5/7 का खातेदार है

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या चार को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है लेकिन प्रतिवादी त्रगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/ सबुत पेश नही कर सके, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का 5/7 हिस्सा बनता हो। प्रतिवादीगण ने हर स्तर पर अपना तर्क बदला है लेकिन वादीगण ने अपने वादपत्र के अनुसार 1/2 हिस्सा घोषित करवाने का निवेदन किया है। इस कारण से वादीगण 1/2 हिस्सा ही प्राप्त करने के अधिकारी है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण प्राप्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, मोकिम

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किया जाता हे कि मौजा प्रेमसागर (भलासरिया) तहसील तिंवरी के खसरा संख्या 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा को वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विपक्ष में स्थायी निषेघाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण मौजा प्रेमसागर तहसील तिंवरी के खेत खसरा संख्या 131 रकबा 146 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 में वादीगण के कबजे काश्त में दखल नहीं करे। आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त करते हेतु तहसीलदार तिंवरी को आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे। आदेशनुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमे इबादाई

ओ 21 रूल 6,7 जाब्त दीवानी

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां जिला जोधपुर

बइजलास – रतनलाल रेगर आर ए एस

वादीगण–	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1 सावलराम पुत्र देवाराम 2 खेमाराम पुत्र देवाराम 3 हुक्माराम पुत्र देवाराम 4 जसूराम पुत्र पोलाराम 5. भूराराम पुत्र पालाराम सभी जातियान जाट निवासीयान ग्राम जाटीपुरा ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1 तुलछाराम पुत्रपन्नाराम के कायम मुकाम 1/1 हीरामराम पुत्र तुलछाराम 1/2 सांवताराम पुत्र तुलछाराम 1/3 हमीराराम पुत्र तुलछाराम 1/4 आसुराम उर्फ अशोक कुमार पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम 1/4/1 श्रीमति कमला पत्नी आसुराम उर्फ अशोक कुमार 1/4/2 यशोदा पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार पत्नी पप्पुराम पुत्र झुमरलाल धतरवाल धेलियानाडी खेतासर तीसील ओसिया जिला जोधपुर 1/4/3 गायत्री पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार 1/4/4 ओमी पुत्री आसुराम उर्फ अशोक कुमार 1/4/5 किशनगोपाल पुत्र आसुराम उर्फ अशोक कुमार 1/4/6 वीरेन्द्र पुत्र आसुराम उर्फ अशोक कुमार समस्त जातियान जाट निवासीगण जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर 2 वीरमाराम पुत्र उमाराम के कायम कुकाम 2/1 [illegible] वीरमाराम 2/[illegible] पुत्र वीरमाराम 2/[illegible] पुत्र वीरमाराम 3 [illegible] पुत्र उमाराम 4 [illegible] पुत्र उमाराम 5 माह[illegible]म पुत्र उमाराम के कायम मुकाम 5/1 नरपतसिंह पुत्र मोहनराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

5/2 राजेन्द्र पुत्र मोहनराम
5/3 राकेश पुत्र मोहनराम समस्त जातियान जाट निवासीगण जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर
5/4 रेखा पुत्री मोहनराम पत्नी गरोविन्दराम जाति जाट माचरा निवासी ग्राम बैठवासिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर
6. आसुराम पुत्र कोलाराम
7 आसुराम पुत्र उमाराम
8.रूपा बेवा सताराम
9. भींयाराम दुर्गाराम
10. धन्नाराम पुत्र पीराराम के कायम मुकाम
10/1.हरजीराम उर्फ हीराराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम ओसिया जिला जोधपुर
11. देराम पुत्र पीराराम के कायम मुकाम जाति जाट निवासी जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर
11/1. श्रीमती धापुदेवी पत्नी देराम जाति जाट निवासी जाटीपुरा ओसिया जिला जोधपुर
12. मोहनराम पुत्र लालाराम
13. सेवाराम पुत्र आदुराम
14. हेमाराम पुत्र आदुराम
15. जालाराम पुत्र मेहराम
16. पुनाराम पुत्र मेहराम
17. जेठाराम पुत्र मेहराम
18. मोहन पुत्र मेहराम के कायम मुकाम
18/1. श्रीमति सजनीदेवी पत्नी मोहनराम
18/2. केवलराम पुत्र मोहन राम
19. चुनाराम पुत्र मेहराम
20. मूलाराम पुत्र केसुराम के कायम मुकाम
20/1. श्रीमति चुक्िया बेवा मुलाराम जाति जाट निवासी जाटीपुरा ओसिया जिला [illegible]
[illegible] पृथ्वीपुरा जोधपुर
21. [illegible]राम पुत्र केसुराम
22. [illegible]पतराम पुत्र केसुराम
23. [illegible]रसिंह पुत्र केसुराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

		24. रामचन्द्र पुत्र केसुराम 25. फूलचन्द पुत्र केसुराम 26. मोहनराम पुत्र केसुराम 27. कानाराम पुत्र केसुराम समस्त जाति जाट निवासी ओसिया जिला जोधपुर 28. भीखाराम पुत्र फुसाराम 29 सोनाराम पुत्र फुसाराम 30. किशनाराम पुत्र फुसाराम 31. गंगाराम पुत्र हरकाराम के कायम मुकाम 31/1. श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर 31/2. श्रीमति शारदा पुत्री गंगाराम पत्नी सुखाराम जाति जाट जाणी निवासी ग्राम मथानिया तिंवरी जिला जोधपुर 31/3 श्रीमति धापु पंत्री गंगाराम पत्नी ओमाराम खिचड जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 31/4. पदमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 31/5. श्रीमति पारबता पुत्री गंगाराम पत्नी चन्दुराम जाणी जाति जाट जाणी निवासी ग्राम मथानिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 31/6. नारायणराम पुत्र गंगाराम जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर 31/7. पुयाराज पुत्र गंगाराम जरिये कुदरती वली माता श्रीमति मीरा पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 31/8. [illegible] पुत्री गंगाराम पत्नी [illegible] खिचड जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर ओसियाँ जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर, ओसियाँ.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

		32. सिमरथाराम पुत्र हरकाराम 33. खेताराम पुत्र गुणेशाराम 34. गिरधारीराम पुत्र गुणेशराम के कायम मुकाम 34/1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी गिरधारीराम 34/2. गोविन्दराम उर्फ गोमदराम पुत्र गिरधारीराम 34/3. विशनाराम पुत्र गिरधारीराम 34/4. भंवराराम पुत्र गिरधारीराम 35. खेमाराम पुत्र गुणेशाराम 36. नारायणराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी ग्राम भलासरिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर

दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

राजस्व वाद संख्या– 12/2002

वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किया जाता हे कि मौजा प्रेमसागर(भलासरिया) तहसील तिंवरी के खसरा संख्या 131 रकबा 146 बिघा 8 बिस्वा को वादीगण को 1/2 हिससे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1/2 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।तथा स्थायी निषेधाज्ञा पक्ष वादीगण एवं विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हे कि वादग्रस्त भूमि मौजा प्रेमसागर (भलासरीया) तहसील तिंवरी के खसरा संख्या 131 रकबा 146 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखल नहीं करे। आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने हेतु तहसीलदार तिंवरी को आदेश दिया जाता है खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे

निज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख़ से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...2019 को जारी की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:32:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner